बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश संख्या–05 / स्था0 / 19 / 2008..... दिनांक.....

शिव सागर थाना (रोहतास) काण्ड संख्या– 95 / 2008 के अभियुक्त श्री विपिन कान्त तिवारी, तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर (प्रभारी रोहतास) की गिरफ्तारी के कारण विभागीय आदेश संख्या 5204 दिनांक 25.08.2008 द्वारा श्री तिवारी को निलम्बित करते हुए विभागीय आदेश संख्या 7021 दिनांक 27.11.2008 द्वारा उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया।

2. उक्त काण्ड में जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 16.01.2009 को श्री तिवारी द्वारा समर्पित योगदान प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 4261 दिनांक 01.09.2009 द्वारा श्री तिवारी का योगदान स्वीकृत करते हुए निलम्बन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया एवं निलम्बन अवधि का नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान का आदेश दिया गया।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक 4619 दिनांक 17.09.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के अधीन उप नियम 3 (ii) के प्रावधानानुसार नियम 9 (1) (ग) के आलोक में श्री तिवारी तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक को उनके योगदान की तिथि दिनांक 16.01.2009 के प्रभाव से ही पुनः निलम्बित कर दिया गया।

4. विभागीय आदेश संख्या 513 दिनांक 10.02.2010 द्वारा शिव सागर थाना (रोहतास) काण्ड संख्या 95 / 2008 के आलोक में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) (सी) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत श्री विपिन कान्त तिवारी, मोटर यान निरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या 2949 दिनांक 12.07.2011 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध निम्नांकित आदेश संसूचित किया गया :–

(i) श्री विपिन कान्त तिवारी, निलंबित मोटरयान निरीक्षक को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) श्री तिवारी के संबंध में अंतिम निर्णय शिव सागर थाना काण्ड संख्या 95/2008 का फलाफल प्राप्त होने पर लिया जाएगा।

(iii) विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय शिवसागर थाना (रोहतास) काण्ड संख्या 95/2008 के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

6. उपर्युक्त वर्णित आदेश के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संबंधी नियुक्ति प्राधिकार का गै0प्रे0 संख्या 161 दिनांक 16.06.2010 के आदेश एवं पुनर्निलंबन आदेश के विरूद्ध सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 16900/2010 एवं सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 18804/2010 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.06.2013 को विभागीय कार्यवाई के संबंध में पारित आदेश का अंश निम्नवत् है :–".....The Disciplinary Authority will be at liberty to take into account the enquiry report and the materials on record of the proceeding and act upon the same strictly within the parameters laid down for him under Rule 18 of 2005 Rules."

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 में निहित प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में चल रहे आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायादेश एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र के प्रावधानों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) में निहित प्रावधानों के तहत श्री विपिन कान्त तिवारी तत्कालीन आरोपित मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) संप्रति मोटरयान निरीक्षक, भागलपुर से विभागीय पत्रांक 4182 दिनांक 30.08.2013 द्वारा कारणपृच्छा की गाँग की गई।

9. श्री तिवारी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम के स्तर पर गठित धावा दल द्वारा श्री तिवारी को ₹ 10,000 (दस हजार) की राशि रिश्वत स्वरूप लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का गंभीर आरोप प्रमाणित होता है। उक्त आरोप के संदर्भ में आरोपी सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः श्री तिवारी का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल पाया गया है।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में रंगे हाथ रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के वृहत शास्तियों (xi) के अंतर्गत श्री विपिन कान्त तिवारी तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, आरा (प्रभारी सासाराम) संप्रति मोटर यान निरीक्षक, भागलपुर को निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है:–

(i) सेवा से बर्ख़ास्तगी का वृहत दण्ड ।

(ii) श्री तिवारी को दिनांक 25.08.2008 से 15.01.2009 की निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

उपरोक्त दण्ड के साथ श्री तिवारी के विरूद्ध चलायी जा रही विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह0/–
प्रधान सचिव–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... पटना/दिनांक.....

प्रतिलिपि : श्री विपिन कान्त तिवारी, मोटर यान निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4865 पटना / दिनांक 26/09/2013

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना /सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटर यान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी अवर प्रवर्त्तन पदाधिकारी/ सभी परिवहन विभाग के कर्मी/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. I. T. Manager को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश को अविलम्ब परिवहन विभाग के Website पर upload करना सुनिश्चित करेंगी।

26/9/13
प्रधान सचिव–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।